भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3378

दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में फ्लुराइड मुक्त बस्तियां

3378. श्री सी. एम. रमेशः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार वर्ष 2012-13 में आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में फ्लुराइड से प्रभावित 14 ग्रामीण रिहायशी बस्तियों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो बस्तियों का ब्यौरा क्या है अैर मार्च, 2018 के अनुसार स्थिति क्या है;

(ग) मंत्रालय ने उन्हें फ्लुराइड-मुक्त बनाने के लिए क्या प्रयास किए हैं और

(घ) उपरोक्त समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जाने वाली तकनीकी और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) यह तथ्य है कि एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के अनुसार वर्ष 2012-13 में आंध्र प्रदेश में कडापा जिले में 14 ग्रामीण बसावटों को फ्लोराइड प्रभावित के रूप में चिह्नित किया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2013 तक कडापा जिले में फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की ब्लॉक-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस मंत्रालय की आईएमआईएस पर उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सभी फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर कर लिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकारें ही ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, अनुमोदन, निष्पादन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग कवरेज के लिए तथा आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता देते हुए जल गुणवत्ता की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

मार्च, 2016 के दौरान, नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना हेतु 21.26 करोड़ रुपए जारी किए थे।

इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन आरंभ किया था। वर्ष 2016-17 के दौरान चालू स्कीमों के जरिए 02 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत 0.12 करोड़ रुपए जारी किए थे और 158 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत मार्च, 2018 में 15.43 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को डॉक्टर आर. ए. माशेलकर की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के माध्यम से जल पर विभिन्न तकनीकें उपलब्ध कराकर उन्हें तकनीकी सहायता दी जाती हैं। मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2013 में पेयजल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई थी और आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में व्यापक रूप से उसे परिचालित किया गया था।

दिनांक 26/03/2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3378 के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुलग्नक

कडापा जिले में फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की ब्लॉक वार संख्या जैसा कि 01 अप्रैल, 2013 तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किया गया है

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2013 तक फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्या
1	गालीवेदू	4
2	लक्कीरेड्डीपल्ली	7
3	रामापुरम	1
4	वीराबली	2
कुल		**14**